कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांकः– /14–1 दिनांक, एटा, 06-1-2017.

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः एटा में टूण्डला–एटा मार्ग एस.एच.–31 के कि.मी. 26.088 की बांयी पटरी पर ग्राम बाबरपुर के खसरा संख्या–988 में विकसित किये जा रहे एस्सार आयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092976 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संन्दर्भ– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के कार्यालय की पत्र संख्या 8बी/06/29/2016/एफ.सी./357 दिनांक 01.11.2016 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–976/एटा/13615/2016 दिनांक 07.11.2016

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा, पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्रों में संशोधित क्षेत्रफल अंकित न करने के कारण सम्बन्धित प्रपत्रों को संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार पुनः उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये दिये गये है। अतः उक्त के अनुपालन में बिन्दुवार संशोधित प्रपत्र निम्न् प्रकार प्रेषित है–

क्र.सं.	आपत्ति का विवरण	अनुपालन की स्थिति
1	वनाधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र	संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार प्रगाण पत्र संलग्न है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु होने वाला व्यय सारांश में	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु होने वाला व्यय सारांश में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भू–संदर्भित मानचित्र में	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भू–संदर्भित मानचित्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
4	वन भूमि का प्रकार वन स्वरूप भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	वन भूमि का प्रकार वन स्वरूप भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
5	स्थल निरीक्षण आख्या में	स्थल निरीक्षण आख्या में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त लीज अवधि, अनुबन्ध पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, एन पी.वी. सम्बन्धी प्रमाण पत्र, भू–स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र, मानक शर्ते व मक मेनेजमेन्ट प्लान आदि अन्य समस्त प्रमाण पत्रों में संशोधित क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रपत्रों सहित प्रस्ताव की 4–4 प्रतियाँ संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुरीत कुमार सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक– 1275/14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार आयल लि0 नोएडा।

सम्बोधित संलग्न सहित एवं प्रावधानित प्रति (कम्पनी) प्राप्त की
6/11/17

(सुरीत कुमार सक्सेना)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।